न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या (11/2018) 2018/00118

1. श्रीमति मुन्नी देवी पत्नि स्व0 छोटूलाल जाति ब्राहम्ण उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला–अजमेर।
2. श्री पुखराज पुत्र स्व0 छोटूलाल जाति ब्राहम्ण उम्र लगभग 46 वर्ष निवासी ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील व जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री सुरजकरण पुत्र श्री किशनलाल, जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी ग्राम रामनेर ढाणी तहसील व जिला–अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर तहसील व जिला–अजमेर।
3. उप पंजीयक अजमेर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री सुण्डाराम जाट — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

दिनांक :– 11.12.2019

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामनेर ढाणी तहसील एवं जिला अजमेर के खाता संख्या पुराना 82 नया 85 के पुराना खसरा नं0 247 रकबा 5–01–10 बीघा बारानी–2, खसरा संख्या 248 रकबा 2–14–00 बारानी–2 खसरा नं0 270 रकबा 3–03–10 बीघा बारानी–2, खसरा नं0 273 रकबा 4–08–10 बारानी–2 खसरा नं0 1501मीन रकबा 3–14–00 बीघा बारानी–1, खसरा नं0 2380 रकबा 3–01–00 बारानी–1 कुल किता 6 कुल रकबा 22–12–10 बीघा के वर्किंग खसरा संख्या 1501 मी. के वर्तमान खसरा संख्या 1161 के अपीलान्ट्स की संयुक्त सह–खातेदारी की पुश्तैनी आराजी है। जो कि अपीलार्थी संख्या 01 के ससुर एवं अपीलान्ट संख्या 02 के दादा घीसालाल व आत्माराम पि0 गंगाराम कौम ब्राहम्ण सा0 देह के खातेदारी में चली आ रही थी। घीसालाल एवं आत्माराम की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 559 दिनांक 21.9.1987 अपीलान्ट्स एवं उनके परिवार वालों के नाम तस्दीक किया गया। उक्त वर्णित भूमि में से विवादित खसरा संख्या 1501 मी0 रकबा 03–14–00 बीघा किस्म बारानी 1 जिसके वर्तमान खसरा सं0 1161 बने के बाबत सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा तथाकथित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.1.1987 (पंजीयन दिनांक 06.02.1987) के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 12.121986 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में दर्ज/स्वीकृत किया गया। सहायक भू–प्रबन्ध, अधिकारी, अजमेर के इसी आक्षेपीय नामान्तरकरण से रूष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये, रेस्पोडेन्ट संख्या 02,03 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने सुनवाई भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित नहीं आये। उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रामनेर ढाणी तहसील एवं जिला अजमेर के खाता संख्या पुराना 82 नया 85 के पुराना खसरा नं0 247 रकबा 5–01–10 बीघा बारानी–2, खसरा संख्या 248 रकबा 2–14–00 बारानी–2 खसरा नं0 270 रकबा 3–03–10 बीघा बारानी–2, खसरा नं0 273 रकबा 4–08–10 बारानी–2 खसरा नं0 1501मीन रकबा 3–14–00 बीघा बारानी–1, खसरा नं0 2380 रकबा 3–01–00 बारानी–1 कुल किता 6 कुल रकबा 22–12–10 बीघा के वर्किंग खसरा संख्या 1501 मी. के वर्तमान खसरा संख्या 1161 अपीलान्ट्स की संयुक्त सह–खातेदारी की पुश्तैनी आराजीयात होकर अपीलार्थी संख्या 01 के ससुर एवं अपीलान्ट संख्या 02 के दादा घीसालाल व आत्माराम पि0 गंगाराम कौम ब्राहम्ण सा0 देह के खातेदारी में चली आ रही थी। खातेदार घीसालाल एवं आत्माराम की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 559 दिनांक 21.9.1987 अपीलान्ट्स एवं उनके परिवार वालों के नाम तस्दीक किया गया। उक्त वर्णित भूमि में से विवादित खसरा संख्या 1501 मी0 रकबा 03–14–00 बीघा किस्म बारानी 1 जिसके वर्तमान खसरा सं0 1161 बने के बाबत सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा तथाकथित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.1.1987 (पंजीयन दिनांक 06.02.1987) के आधार पर विधिविरूद्ध रूप से नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 12.121986 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में दर्ज/स्वीकृत कर दिया गया। तथाकथित विक्रय पत्र पंजीबद्ध होने के दो माह पूर्व ही आक्षेपित नामान्तरकरण किस कदर दर्ज किया गया यह समझ से परे है। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 6.2.1987 के द्वारा सभी खातेदारान का हिस्सा (जिसमें अपीलान्ट्स के स्वयं का हिस्सा भी शामिल है,) का बेचान नहीं किया गया। इसके बावजूद विक्रय पत्र दिनांक 6.2.1987 के आधार पर प्रश्नगत खसरा की सम्पूर्ण आराजी बाबत आक्षेपित नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। आक्षेपित नामान्तरकरण विक्रय दस्तावेज पंजीकृत होने के दो माह पूर्व दिनांक 12.12.1986 को ही दर्ज किये जाने से विधिअनुसार प्रारम्भ से निष्प्रभावी एवं बेअसर है। इसलिए विधिक प्रावधानो के तहत मौजूदा अपील पर मियाद का प्रश्न लागू नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 द्वारा तथाकथित त्रूटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी को बेचान करने का प्रयास करने की जानकारी दिनांक 4.1.2018 को होने पर अपीलान्ट्स द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 12.12.1986 की नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की गई। उक्त नकल से ही अपीलान्ट्स को आक्षेपित नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाकर जानकारी दिनांक 4.01.2018 से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 1212.1986 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के पक्ष में तस्दीक विरासती नामान्तरकरण संख्या 559 दिनांक 21.9.1987 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि सभी तथ्यों की जांच कर पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आक्षेपित नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अपीलांन्ट्स को आक्षेपित नामान्तरकरण दर्ज होने के करीब 32 वर्ष पश्चात अपील के जरिये हस्तक्षेप करने को कोई हक अधिकार नहीं रह जाता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट्स विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल एवं भारी मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1987 के द्वारा कय की गई, किन्तु प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 1501 रकबा 3–14–00 बारानी 1 सम्पूर्ण हिस्सा बाबत आक्षेपित नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पक्ष में दिनांक 12.12.86 को ही दर्ज/स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट्स द्वारा मुख्य रूप से इन्ही बिन्दुओं को मौजूदा अपील के जरिये आक्षेपित किया गया है। उक्त आक्षेपित बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में रेकार्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजीबद्ध विकय पत्र दिनांक 6.2.1987 में प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 1501 रकबा 3–14–00 बारानी 1 का अंकन अन्य खसरा भूमि के साथ दर्ज है। अधिनस्थ अधिकारी द्वारा उक्त विकय पत्र का हवाला दर्ज करते हुए ही आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के करीब 32 वर्ष की लम्बी अवधि गुजरने पश्चात केवल एक खसरा/भूमि को विवादित बताते हुए प्रस्तुत अपील का कोई ठोस युक्तियुक्त न्यायोचित आधार हमारे समक्ष प्रकट नहीं है। पंजीबद्ध विकय पत्र दिनांक 6.2.1987 द्वारा विकित अन्य खसरा/भूमि में से केवल खसरा संख्या 1501 ही किस कदर विवादित है, अपीलान्ट्स द्वारा इन तथ्यो को स्पष्ट नही किया गया, इससे साफ जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा तथ्यो को छुपाकर अपील पेश की गई है। इतनी लम्बी अवधि बाद अपील प्रस्तुत करने बाबत जो कारण बताये है वे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हक में निष्पादित उक्त पंजीबद्ध विकय दस्तावेजात के परिपेक्ष्य में कतई सन्तोषजनक एवं औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं। लिहाजा अपीलान्ट्स मौजूदा अपील के जरिये वांछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। चूंकि नामान्तरकरण एक Fiscal proceeding है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलान्ट अपने हकों के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner